(143)

संख्या–710 /XVIII(II)/2012

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 22 मार्च, 2012

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ में अधीक्षण अभियन्ता आवास कैम्प कार्यालय व उससे लगी परिसर की भूमि चिकित्सा विभाग को हस्तांतरण किये जाने के फलस्वरूप अधीक्षण अभियन्ता आवास निर्माण हेतु 0.080 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0–1133/सात–28/2010–11 दिनांक–30 मई 2011 के संदर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, जनपद पिथौरागढ़ में अधीक्षण अभियन्ता आवास कैम्प कार्यालय व उससे लगी परिसर की भूमि चिकित्सा विभाग को हस्तांतरण किये जाने के फलस्वरूप ग्राम भाटकोट में खतौनी संख्या–5 श्रेणी 5(3) ड़ कृषि योग्य बंजर खेत नम्बरान 982 मध्ये 0.030, 984 मध्ये 0.010 तथा 998 मध्ये 0.040 कुल 0.080 है0 भूमि अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के राजकीय आवास निर्माण हेतु, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 में निहित प्राविधानों एवं निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

.....2

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु, तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0संख्या–710 /समदिनांकित/2012

**प्रतिलिपि**–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, लोक निर्माण विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5– प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।